भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2596
जिसका उत्तर मंगलवार, 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

कागज मिलों का पुनरुद्धार

2596. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार असम के दो कागज मिलों नामतः कच्छार कागज मिल, बराक वैली में पंचग्राम तथा गुवाहाटी के निकट जागीरोड़ में नागाँव कागज मिल जो क्रमशः 20 अक्तूबर, 2015 और 13 मार्च, 2017 से बंद हैं के लिए किसी पुनरूद्धार पैकेज को तैयार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान उपरोक्त वर्णित कागज मिलों के किसी कर्मचारी की मौत/आत्महत्या हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविंद गणपत सावंत)

(क) से (घ): असम में कछार पेपर मिल, पंचग्राम और नगाँव पेपर मिल, जागीरोड हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) की मिलें हैं, इस समय ये मिलें प्रचालन में नहीं हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी) ने दिनांक 13.06.2018 के आदेश के माध्यम से एचपीसी के विरुद्ध इन्सोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी), 2016 के तहत कॉर्पोरेट इन्सोल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी) आरंभ करने का निदेश दिया।

इसके बाद, आईबीसी के उपबंधों के अनुसार एचपीसी का निदेशक मंडल निलंबित हो गया है और एचपीसी के लिए एक समाधान व्यावसायिक (आरपी) और लेनदारों की एक समिति नियुक्त की गई है। अध्यक्ष एवं महानिदेशक, एचपीसी ने एनसीएलएटी के दिनांक 13.06.2018 के उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अभिकरण (एनसीएलएटी) में एक अपील दायर की है, तथापि, दिनांक 08.01.2019 के आदेश के द्वारा अपीलीय अभिकरण द्वारा उक्त अपील को निरस्त कर दिया गया।

दिनांक 02.05.2019 को सुनवाई के दौरान एनसीएलटी ने एचपीसी के परिसमापन का आदेश दिया।

*****